

संख्या.ए1/व्यापार परिपत्र/2020/टी

दि.23.09.2020

व्यापार सूचना सं. 08/2020

विषय: सीएफएस में व्यक्तिगत सामान संचालन के निलंबन के कारण 01.08.2020 से 16.08.2020 तक की अवधि को 'व्यापार बंद' की घोषणा।

व्यापार सूचना संख्या 06/2020 दि. 03.08.2020 के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि दि.28.08.2020 को सम्पन्न बोर्ड बैठक संख्या 2 के संकल्प संख्या 69(कार्यसूची मद संख्या टी2) में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासीमण्डल ने, सीएफएस में श्रमिकों जो कोविड-19 के चलते क्वॉरन्टीन में थे, की अनुपलब्धता के कारण वैग्रेज क्लीयरेंस परिचालन संभव न हो पाने की स्थिति में 01.08.2020 से 16.08.2020 तक की अवधि को 'कारोबार बंद' के रूप में विचार करते हुए असंगी सामग्री/निजी संपदा धारण करने वाले कंटेनरों एवं कंटेनरों से गैर-दुलाई किए गए असंगी सामग्री/निजी संपदाओं के लिए भण्डारण प्रभागों में छूट देने का संकल्प लिया है।

कृपया तदनुसार सभी हितधारकों और व्यावसायिक सहयोगियों को सूचित करें।

  
यातायात प्रबंधक

सेवा में,

कोचिन सीमा शुल्क ब्रोकर्स एसोसिएशन कोचिन } यह अनुरोध के साथ, कृपया अपने सभी क्लाइंट्स,  
कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, कोचिन } व्यापारिक संगठन/एसोसिएशन, व्यक्तिगत आयातकों-  
इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कोचिन } निर्यातकों, व्यापार सहयोगियों, सर्विस मेंटर्स  
के साथ यह जानकारी साझा करें।

सदय सूचनार्थः

- “ सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क हाउस, कोचिन -9
- “ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यालय/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक-सीएफएस
- “ वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी)- पोर्ट के वेबसाइट में पोस्ट करने हेतु
- “ हिन्दी अनुभाग-हिन्दी अनुवाद हेतु।